फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अति. जिला कलक्टर मुकाम नीमकाथाना

पारली देवी वगै० बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 76 वर्ष 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28-4-2022	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप० वकील अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र कायम मुकामान पर सुना गया। न्यायहित में कायम मुकामी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। कायम मुकामान किशोर से श्री नत्थुसिंह एड. ने वकालतनामा व संशोधित शीर्षक पेश किया। वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मूल अपील की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि भूमि ख० न० 1660, 1661, 1662 किता 3 रकबा 2.12 है० तन ग्राम ढाणी डेरावाली तहसील श्रीमाधोपुर के अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। अपीलार्थीगण कि भूमि के पूर्वी साईड से आम रास्ता है जो ख० न० 1659 रकबा 0.07 है० गुजरता है। पटवारी हल्का द्वारा द्वेषतावश एक झूठी रिपोर्ट इस आशय की पेश की जिसमें ख० न० 1659 रकबा 0.07 है मे से 0.005 है (0.053) पर अपीलान्ट ने अतिक्रमण कर रखा है। रि[illegible] अनुसार प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थीगण [illegible] नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थीगण [illegible] जवाब पेश करने का अवसर दि[illegible] बिना ही अपनी आज्ञा से दिनांक 27-11-20 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को 0.005 है (0.05 है) रकबे से बेदखल का आदेश पारित कर दिया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:37:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जबकि अपीलान्टस द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था लेकिन भूमि का सही सीमाज्ञान नहीं किया गया। अपीलान्ट ने अपनी भूमि का सही सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्टस की स्वयं की भूमि का सही सीमाज्ञान करवाने का आदेश पारित करे एवं सही सीमाज्ञान होने के पश्चात अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो उस अतिक्रमण को हटाये जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।
	रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील से सम्बन्धित रिकार्ड चाहा गया था जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पो॰ द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा पारित प्रथम आदेश यथावत किया जावे ताकि सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाकर राजकीय भूमि संरक्षण में ली जा सके।
	बहस वकील अपीलान्टस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।
	अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख॰ नं॰ 1660, 1661, 1662 किता 3 रकबा 2.12 है॰ तन ग्राम जाणी डेरावाली तहसील श्रीमाधोपुर का अपीलान्टस खातेदार काश्तकार है। अपीलान्टस की भूमि के पूर्वी दिशा में आम रास्ता है जो ख॰ नं॰ 1659 रकबा 0.07 है॰ का है। नायब तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट/रिकार्ड से यह स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का द्वारा ख॰ नं॰ 1659 रकबा 0.07 में से 0.05 है॰ (0.0058 है॰) पर अपीलान्ट द्वारा छड़ी डालकर अतिक्रमण किया जाना सही है। एवं इस तथ्य कि रिपोर्ट से पुष्टी भी होती है। अपीलान्टस का कथन है कि मेरी खातेदारी भूमि का

अज अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:37:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

....बनाम..

किस्म मुकदमा..नम्बर..वर्ष......................

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सही रूप से सीमाज्ञान करवाया जावे। जिसके पश्चात अगर अतिक्रमण हटाया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नही है। अपीलान्टस के इस बिन्दु पर भी गौर किया जाना न्यायहित मे उचित प्रतीत होता है। अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि ख० न० 1659 रकबा 0.07 है मे से ~~0.05 है~~ 0.005 है पर अतिक्रमण करने की रेव्यू० द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से होती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दि० 27-11-20 की पालना से पूर्व अपीलान्ट से नियमानुसार प्रार्थना पत्र लिया जाकर अपीलान्टस की खातेदारी भूमि ख० न० 1660, 1661, 1662 किता 3 रकबा 2.12 है. तन ग्राम डा० डेरावाली - तहसील श्रीमाधोपुर का सीमाज्ञान व राजकीय भूमि ख० न० 1659 रकबा 0.07 है तन ग्राम श्रीमाधोपुर का भी सीमाज्ञान व नाप जोख 15 दिवस मे करने के बाद नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 27-11-20 की पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली में निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल [illegible] से कम होकर दाखिल दफ्तर [illegible]। Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2023.10.18 10:37:16 IST Reason: SelfAttested (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9/5/22	वकील अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 152 का पेश करने पर पत्रावली रिकार्ड से तलब होकर पेश हुई। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि अपील सं 76/2021 इनवानी पारली देवी बनाम तहसीलदार को का न्यायालय द्वारा दिनांक 28-4-2022 को निर्णय पारित किया गया था। अपीलान्ट कि खातेदारी भूमि के पूर्वी साइड मे ख०न० 1659 रकबा 0.07 है का आम रास्ता गुजरता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार अपीलान्ट द्वारा रकबा 0.07 है मे से 0.005 है भूमि पर अतिक्रमण किया गया बताया है जबकि निर्णय दिनांक 28-4-22 में अतिक्रमण रकबा 0.005 है के स्थान पर 0.05 है लिखा गया जो सहवन से लिखा गया है। अतः न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-4-22 में जहां 0.005 है के स्थान पर 0.05 है अंकित हुआ है जिसमे संशोधन किये जाने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट को सुना गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को भूमि ख० न० 1659 रकबा 0.07 है में से 0.005 है पर अतिक्रमण किया जाना बताया है। परन्तु न्यायालय द्वारा अपील सं 76/2021 में दिनांक 28-4-22 को जो निर्णय पारित किया गया जिसमे अतिक्रमी रकबा 0.005 है के स्थान पर 0.05 है लिखा गया जो एक लिपिकीय त्रुटि होना प्रतीत होता है। जो सहवन से लिखा गया है जिसे दुरुस्त किया जाना उचित समझता हूँ। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 28-4-22 को पारित निर्णय में अतिक्रमी रकबा 0.05 है के स्थान पर 0.005 है लाजमी सहवन से लिखा जाकर संशोधन किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:37:16 IST
Reason: SelfAttested